प्रेस नोट दिनाँक-23.02.2023

(1). आज दिनांक 23.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(2). आज दिनाँक-23.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैया श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजभजन पुत्र अमीर निवासी पेसड़ाहार मजरा गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शऱाब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शऱाब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सरैया श्री चन्द्रमणि पाण्डेय
2. आरक्षी रोहित यादव

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 17/2019 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त मुन्नीलाल पुत्र सुकलवा निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी दीपक कुमार

(5). माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री रामसिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं साशकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्याम सुंदर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप जिला न्यायाधीश जनपद चित्रकूट श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2015 धारा 304,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बबुली उर्फ रामसुमेर पटेल पुत्र गयादीन पटेल निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं साथ ही 02 वर्ष के सदाचार की परिवीक्षा में भी रहेगा।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा नाबालिग बालिकाओँ की सकुशल बरामदगी हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनाँक 22.02.2023 को थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 77/2022 धारा 363,366 भादवि0 से सम्बन्धित नाबालिग बालिका उम्र लगभग 17 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि थाना पहाड़ी अन्तर्गत निवासी युवक द्वारा थाना पर दिनाँक-08.06.2022 को सूचना दी गयी कि सोनू व सगुन पुत्रगण शिवपूजन निवासी बराहमाफी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उसकी नाबालिग बहन को दिनाँक-23.05.2022 को बहला फुसला कर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 77/2022 धारा 363,366 भादवि0 बनाम 1. सोनू 2. सगुन उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा बालिका की शीघ्र बरामदगी करने हेतु थानाध्यक्ष पहाड़ी को निर्देश दिये गये थे। निर्देशानुसार उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता की सकुशल बरामदगी हेतु प्रयासरत थी जिसमें मैनुअल इण्टेलीजेन्स एवं सर्विलांस सेल की टीम के सहयोग से पुलिस टीम द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए बालिका को सूरत गुजरात से सकुशल बरामद किया गया।

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी जलील अहमद
3. महिला आरक्षी काजल

(7). **मिशन शक्ति अभियान** के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनंद एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्री तेजप्रताप द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप श्री संजय के0 लाल विशेष न्यायाधीश

पोक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2017 धारा 302,201,376 भादवि0 व 06 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजा उर्फ कमलाकांत पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 01 लाख 60 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक-14.01.2017 को कर्वी निवासी एक युवक द्वारा कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी थी कि दिनाँक-13.01.2017 को रात्रि 08 बजे से उसकी नाबालिग पुत्री गायब हो गयी थी जिसका शव 14.01.2017 को सुबह 06 बजे एक बोरे में बरामद हुआ था। घटना के 16 दिन बाद इस मामले में विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि हत्या के पूर्व मृतका के साथ बलात्कार भी हुआ था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए शंकर बाजार कर्वी निवासी राजा उर्फ कमलाकांत पुत्र लक्ष्मी प्रसाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के बाद मौके पर मिले साक्ष्यों का खुलासा करते हुए बताया था कि आरोपी राजा उर्फ कमलाकांत ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था और अपराध छिपाने के लिए मृतका के शव को बोरे में भरकर दूसरे के दरवाजे के बाहर फेंक आया था।

(8). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सुबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 133/2019 धारा 279,337,338,304 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त रामकृपाल पुत्र चुनबाद निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट तथा मुकदमा संख्या 769/2019 धारा 452,354,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त छोटेलाल पुत्र चुनबाद निवासी गडरियन पुरवा मजरा रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री इमरान खान थाना भरतकूप

2. आरक्षी अजीजुद्दीन

3. आरक्षी सतीश कुमार